

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

यंथपाल (Librarian) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2024

विज्ञापन क्रमांक 44/2024 30.12.2024

परीक्षा तिथि

: 01/06/2025

ऑनलाइन आवेदन करने की

उच्च शिक्षा विभाग

भवेश पत्र उपलब्धता तिथि : 23/05/2025

अंतिम तिथि 26.03.2025(दोपहर 12:00 बजे तक)

आग - "A"

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

- 1. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु ग्रंथपाल (Librarian) के पर्दो की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
- 2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएगें आवेदन-पत्र दिनांक 27.02.2025 (दोपहर 12:00 बजे) से 26.03.2025 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते है।
- 3. उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

- 1. आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी।
- 2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम, तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुक्क संबंधी निर्देश :-

- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -03 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे :
- 2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई शुल्क के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से भली-भांति अध्ययन के पश्चात् ही निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से तृटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. बृदि स्थार संबंधी निर्देश :-

- 1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की साबद्वानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 04.03.2025 से 28.03.2025 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
- 2. <u>अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रृटि होती है, तो त्रृटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।</u>
- 3. त्रुटि सुधार अविध में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-3) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / दिव्यांगजन) / लिंग (महिला / पुरुष) शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही लघुसूचीकरण किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवाहर नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पावना :-

शैक्षणिक अर्हता - (i) कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भाषाओं, विधाओं के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/संगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर/निष्णाय उपाधि (अथवा जहां कही भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्याइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि। (ii) उपरोक्त अईताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा(नेट) जो कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है अथवा सी.एस.आई आर. द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किये गए पिरक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि। टीप:- मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र

होंगे अन्य राज्यों के स्लेट/सेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। (iii) उपरोक्त उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है- इस सब के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन- 2009 के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी प्रदान करने के लिए हैं) ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। तथापि, दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम. फिल./ पीएचडी हेत् पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छुट प्राप्त होगी:- (क) अभ्यर्थी को पी.एच.डी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गयी हो। (ख) पी.एच.डी. शोध प्रबंध का मुल्यांकन कम से कम 02 बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो। (ग) पी.एच.डी. के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो अनुशंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो। (ड.) अभ्यर्थी ने वि.अ.आ./आई.सी.एस.एस.आर./ सी.एस.आई.आर. अथवा ऐसी ही किसी एजेंसी द्वार प्रायोजित /वित्त पोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पी.एच.डी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तृत किया हो। उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/समकुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। टीप:- मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 05 दिसंबर 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक पी.एच.डी. प्राप्त अभ्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोक्तानुसार अर्हता मान्य होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा। (iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी। (ν) यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2018 की कंडिका 3.4(1) एवं सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग का राजपत्र दिनांक दिनांक 21 नवम्बर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती हेतु अईता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मुल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(असंपन्न वर्ग) /िन:शक्त (क) दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, (ख) बहरे और कम सुनने वाले (ग) लोको मोटर डिसेविलिटी जिसमे सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी ,कुष्ठ रोग मुक्त, वौनापन, एसिड अटैक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी से जुडे अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 05 प्रतिशत की छुट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत की पात्रता अंको (अथवा) जहां कही भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वांइट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणियों के लिए 05 प्रतिशत की छूट अनुमेय है। (vi) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए-55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत। टीप: 01 सभी विज्ञापित विषयों में नेट/स्लेट की परीक्षा या तो मूल विषय के नाम से अथवा तत्संबंधी यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को मान्य किया जाएगा जिसका विवरण उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 दिनांक 15/11/2017)उपलब्ध कराई गई है। 02 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/0081/2022 Sec-1-38, दिनांक 22.12.2022 द्वारा विज्ञापित विषयों के संबन्धित सहविषयों के संबंध में जानकारी उपलब्ध है। (1) कालम (2) में उल्लेखित विषयों के सह विषय कालम (3) में दिये गए है तथा कालम (2) में उल्लेखित विषयों हेतु कालम (3) के विषयों से संबन्धित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है। (2) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते है, को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होंगी। (3) परीक्षा का आयोजन मुख्य विषय में ही किया जाएगा।

रोज़गार पंजीयन -

- (अ) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
- (व) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोज़गार पंजीयन, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगा।
- (स) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ वोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छुट रहेगी।
- 3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अईता /अनुभव / वांछनीय अईता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पव :-

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ट प्रश्नों की ओ.एम.आर. आधारित परीक्षा तिथि 01/06/2025 आयोजित की जाएगी। प्रवेश-

- पत्र की उपलब्धता तिथि 23/05/2025 तथा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- 2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु व्यय प्रतिपूर्ति का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा नियम / निर्देश आदि किया

1. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को लघुसूचीकरण में शामिल करके लघुसूचीकरण सूची घोषित की जाऐगी। इस संबंध में कोई भी आपित मान्य नहीं होगी। चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय -समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।

- 2. पाठ्यक्रम विज्ञापन के भाग "H" में संलग्न किया गया है । यदि पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तद्नुसार संशाधित पाठ्कम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
- 3. विज्ञापन अंतर्गत आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक / श्रेणीवार कटऑफ अंतिम लघुसूचीकरण के पूर्व कदापि प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।
- 4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
- 5. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 6. उन्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक SLP 8764/2023, WP5596/2024 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अविधि में परीक्षा / चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्राविधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

अन्य निर्देश

- 1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त E-mail / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संद्वारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
- 3 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ तथा परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे । अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
- 6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को अविलम्ब प्रदान कर दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक

आरत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

_				<u> </u>														
	सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल (Librarian)																	
रिक्त पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की				मध्यप्रदेश के						
				शासकीय महाविद्यालयों के				मूल निवासी महिला				मूलनिवासी						
					अतिथि विद्वानों हेत् आरक्षित			अश्चर्थियों हेतु आरक्षित पदों			दिव्यांगजन हेतु							
				पद				की संख्या				आरक्षित पदों की						
																संख्या		
UR	5C	ST	OBC	EWS	Total	UR SC ST OBC EWS			UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	нн		
21	13	16	22	8	80	5	3	4	6	2	7	5	6	8	3	3	0	2

अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचितत याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./ एक दिनांक 29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13 % के आधार पर जारी किया जाना है। इस संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा अधिकारियों के पदों हेतु मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13 % का पद विभाजन निम्नानुसार रहेगा :-

	मुख्य भाग (87%)									
21	21 13 16 11 8 69 5 3 4 3 2 7 5 6 4 3 3 0 2									
	प्रावधिक भाग (13%)									
11*	11* 11 11 3* 3 4* 4									
* का	* काल्पनिक									

Abbreviations: UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped, MD- Multiple Disability

दो - पद का विवरण

(A) विभाग का नाम

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(B) श्रेणी

: राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) पद स्थिति

: स्थायी

(D) वेतनमान

: युक्तियुक्त एंट्री पे रू. 57,700 अकादमिक स्तर 10

(E) कर्तव्य

शैक्षणिक कार्य

(F) पदका नाम

ग्रंथपाल

(G) अनिवार्य शैक्षणिक

अर्हता

- (i) कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, विधाओं के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित / संगत / संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।
- (II) उपरोक्त अईताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अञ्चर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है-अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

टीप :- म.प. शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अश्यर्थी ही पात्र होंगे अन्य राज्यों के सेट/स्लेट सफल अश्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

- ं उपरोक्त उपधारा (i) एवं (ll) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है इस (111) सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनकों कि यू.जी.सी. नियमन-2009 के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों दवारा जिन्हें यदि विश्वविदयालय अनुदान आयोग ने अधिस्चित किया है । (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी. प्रदान करने के लिए हैं) -ऐसे अध्यर्थियों को नेट / स्लेट / सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी-जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समत्ल्य स्थिति वालों की अर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है । तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल / पीएच.डी हेतू पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालिन अध्यादेश / उपविधि / विनियमों के उपवंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शतीं पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेत् उन्हें नेट / स्लेट / सेट की न्यूनतम पात्रता शर्ती की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी :
 - (क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो।
 - (ख) पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो।
 - (ग) पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
 - (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमे से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।
 - (इ.) अश्र्यर्थी ने वि.अ.आ./ आईसीएसएसआर/ सीएसआइआर अथवा ऐसी ही किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएच.डी. कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो। उपर्युक्त (क) से (इ) को कुलपति/ सम-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
 - टीप मप्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 05 दिसंबर, 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक पी.एचडी. प्राप्त अश्च्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोक्तानुसार अर्हता मान्य होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- (iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट! स्लेट! सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं, उनके लिए नेट! स्लेट! सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।
- (v) " सीधी अर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुस्चित जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग (नॉनक्रीमिनेयर) / दिव्यांग [(क) दृष्टिवाधित और कम दृष्टिवाधित, (ख)] बहरे और कम सुनने वाले, (ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी । 55

प्रतिशत की पावता अंकों (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अईता अंक में उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय हैं। "

(vi) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत ।

02 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/0081/2022/Sec-1-38(HED), दिनांक 22.12.2022 दवारा ग्रंथपाल विषय के संबन्धित सहविषयों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

	화.	विषय	सह विषय (Allied Subject)
Ì	1	ग्रंथपाल(Librarian)	हेतु कोई सह विषय नहीं है।

- (1) कालम (2) में उल्लेखित विषयों के सह विषय कालम (3) में दिए गए है तथा कालम (2) में उल्लेखित विषयों हेतु कालम (3) के विषयों से संबन्धित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
- (2) ऐसे अञ्चर्थी जो एक से अधिक विषयों के सहविषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अईता रखते हैं, को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
- (3) परीक्षा का आयोजन मुख्य विषय में ही किया जाएगा
- (H) आय् सीमा:

- 1. 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
- 2. अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट के लिए प्रिशिष्ट -1 देखें।
- (1) आयु संगणना तिथि 01.01.2025
- तीन (I) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.03.2025 तक होना चाहिए । आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएँ अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेत् विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
 - (ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
 - (iii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
 - (iv) <u>किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव</u> में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
 - (v) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांकिदि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.ln के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।
 - (vi) अनुस्चित जाति, अनुस्चित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुस्चित जाति, अनुस्चित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित है। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।
 - (VIII) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
 - (viii) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं, उस श्रेणी के अश्यर्थियों को आरक्षण तथा आयु-सीमा में छूट की

पात्रता नहीं होगी तथा उन्हें अनारक्षित पद/पदों के संदर्भ में विचारित किया जाएगा। यदि अनारक्षित श्रेणी का पद विज्ञापित नहीं है, तो केवल उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा, जिस श्रेणी के पद विज्ञापित हैं।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के अंतर्गत अनईता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध ज्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ह. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संताने हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरिहंत नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अश्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अईताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अश्यर्थी अपनी अईता की जांच स्वयं कर लें और अईता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अश्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अश्यर्थी के अनई पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

छ: अधिवार्षिकी आयु :- सामान्य प्रशासन विभाग एवं संबंधित विभाग द्वारा समय - समय पर जारी अद्यतन अधिसूचना अनुसार

सात चयन प्रक्रिया :-

इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अञ्चर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट http://www.mppsc.mp.gov.in/ पर प्रकाशित किया जाएगा।

- (1) अभिलेखों के स्क्ष्म परीक्षण के पश्चात जो अध्यर्थी अई पाए जांगेंगें केवल उन्हें ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अध्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अईताधारी अध्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर सूचित किया जाएगा।
- (2) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अश्न्यर्थियों को चयन के लिए अनई माना जाएगा।
- (3) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। <u>चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।</u>

प्रतियोगी परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से (वस्तुनिष्ठ ओ.एम.आर. आधारित) आयोजित की जाएगी । ओ.एव.आर. संबंधित निर्देशों हेतु परिशिष्ट 4 (आप्टिकत स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश) का अवलोकन करें। यदि ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित निर्देशा यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे।

परीक्षा योजना तथा पाठ्कम एवं परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।

प्रश्नोत्तर आपत्ति :-

परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/ मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 05 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया आएगा । प्रति प्रश्न आपित्त हेतु 100 ईपए (Non-Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रूपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपित्त हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपित्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपित्तयों पर विचार कर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-

- ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
- प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा ।
- 3 ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
- 4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
- 5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अश्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी । अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति। पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर मुख्य परीक्षा हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

आठ प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र :-

कोड़	नाम	कोइ	नाम	कोड़	नाम	कोइ	नाम	कोड़	नाम
01	भोपाल	02	इन्दौर	03	ग्वालियर	04	जबसपुर	05	सागर
06	उज्जै न	07	शहडोल	08	चंदल	09	रीवा	10	नर्मदापुरम

परीक्षा केन्द्रों के संबंध में आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त में से प्राथमिकता क्रम में चार परीक्षा शहर का चयन करेंगे ।

अञ्चर्थियों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है की अञ्चर्थी को उसके द्वारा चयनित केंद्र ही आवंटित किया जाए। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आवंटित किया जा सकेगा। परीक्षा की समय सारिणी तथा तथा अन्य आवश्यक जानकारियाँ यथासमय " आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

- नौं आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु <u>परिशिष्ट -3</u> का अवलोकन करें।
- दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. 'पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिए कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जाएगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (i) आयु सीमा की छुटें <u>परिशिष्ट -1</u>
- (ii) अईताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश<u>परिशिष्ट -2</u>
- (iii) आवेदन पत्र अरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां <u>परिशिष्ट -3</u>
- (iv) परीक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -4
- (v) कुल रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्रता के संबंध में प्रावधान परिशिष्ट-5

(vi) अनुभव प्रमाण - पत्र एवं गणना - पत्रक <u>परिशिष्ट-6</u>



भाग - "C'

विज्ञापन तिथि	:	30.12.2024
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	:	27.02.2025
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	26.03.2025
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की प्रारम्भ तिथि	:	04.03.2025
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की अंतिम तिथि	:	28.03.2025
प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि	:	23/05/2025
लिखित परीक्षा तिथि	:	01/06/2025
लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज प्रेषित	:	
करने की अंतिम तिथि		यथा समय घोषित की
लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु विलंब शुल्क के	1	जाएगी ।
साथ दस्तावेज प्रेषित करने की अंतिम तिथि		
साक्षात्कार तिथि		

परिशिष्ट -1 आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देस छूटें

मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार अनुस्चित जाति/ अनुस्चित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

 ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अविध कम करने के लिए अनुजात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण:-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

 मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों हेतु आयु-सीमा संबंधित पात्रता परिशिष्ट-6 अनुसार रहेगी ।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के आप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- टीप:- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विक्षिन्न कार्यों। योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
 - (2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अश्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अश्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

- नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट "एक" मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
 - (02) अश्च्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अश्च्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
 - (03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा अत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अध्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुस्चित जाति, अनुस्चित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अध्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2025 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अध्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अध्यर्थियों की अध्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यर्थीन रहेगी।

परिशिष्ट - 2

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

- 1. अभ्यर्थी की समस्त शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.03.2025 तक पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को अन्ह माना जाएगा 1
- 2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास परीक्षा का ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा परीक्षा का ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
- 3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही परीक्षा हेतु ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियाँ पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।

5. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।

6. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

7. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हो ऐसी स्थित में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आयु-सीमा में छूट का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

8. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

9. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्व किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।

10 मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वाछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11 साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र में निर्देशित सभी कंडिकाओं का सूक्ष्मता से पालन कर निम्नानुसार प्रारूप के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ तैयार कर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा । इनके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यार्थी की स्वयं की रहेगी।

संलग्न दस्तावेजों की सूची

आग :- "E"

परिशिष्ट प्रपत्र - 01

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक-: 44/2024 दिनांक 30.12.2024

परीक्षा का नाम:- ग्रंथपाल (Librarian)

आवे	दक का नाम :	रोल न <u>म्बर :</u>	
स.क्र.		संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	योग
1.	उपस्थिति पत्रक – 01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से तक	**********
2.	व्यक्तिगत विवरण – 01 मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति (05 छायाप्रति पृथक से प्रस्तुगत	पृष्ठ क्रमांक से तक	
	करना है एवं छायाप्रति में नम्बरिंग नही करना है।)		•••••
3.	अनुप्रमाणन फार्म - 03 मूल प्रति । 	पृष्ठ क्रमांक से तक	•••••
4.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (डिबार) नहीं होने संबंधी)–01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
5.	हाईस्कूल की अंकसूची ।	पृष्ठ क्रमांक से तक	
6.	हायर सेकण्डरी की अकसूची ।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	**********
7.	अर्हता से संबंधित समस्तक वर्षों की अंकसूचियों एवं उपाधि।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
8.	अनुभद प्रमाण -पत्र एवं गणन प्रमाण - पत्र (इस विज्ञापन के प्रिशिष्ट-7 के अनुरूप)	पृष्ठ क्रमांकं से तक	***********
9.	मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र । (साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज़ भिजवाने की अंतिम {पृथक से अधिसूचित की जाएगी} तिथि तक)	पृष्ठ क्रमांक से तक	
 -	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांकसे	*********
10.	(प्रमाण पत्र में गोलसील, जाबक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।)	पुष्ठ क्रमान स	
	(ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.03.2025 अथवा उसके पूर्व जारी)		
11.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, म.प्र. शासन का जाति	पृष्ठ क्रमांकसे	
	प्रमाण पत्र । विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का	तक	
	जाति प्रमाण पत्र । (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण		
	क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है । अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नही		
	होंगे।) म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे)		
	(ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.03.2025 अथवा उसके पूर्व जारी)	पृष्ठ क्रमांक से	**********
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
	क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र– 01 मूल प्रति ।	(IP)	
10			•••••
13.	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.03.2025 अथवा उसके पूर्व जारी		
	वित्तीय वर्ष 2024-25 का वैध ई.डब्ल्यूएस. प्रमाण पत्र की प्रति ।		
1.4	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से	
14.		तक	*********
15.	दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से	
	(ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.03.2025 अथवा उसके पूर्व जारी)	तक	******
16.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति । अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम	पृष्ठ क्रमांक से तक	
	तिथि 26,03.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र की	w 1'	
	प्रति संलग्न करें।		********
17.	मध्यप्रदेश की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र –	पृष्ठ क्रमांकसे	_
• •	01 मूल प्रति ।	तक	<i></i>
18.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	पुष्ठ क्रमांकसे	
10.	26.03.2025 अथवा उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तातवेज की प्रति एवं	तक	

	सेवावधि के विवरण पत्रक की प्रति ।		
19.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र । कोई एक (आधार-कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पेन	पृष्ठ क्रमांकसे	
	कार्ड/बैंक पासबुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ताप द्वारा जारी परिचय	तक	
	पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस)		
20.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ 5	पृष्ठ क्रमांकसे	
	पर कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति । (03	तक	
	प्रति)।		
21.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं	पृष्ठ क्रमांक ् से	
	प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार पर अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर	तक	
	आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यत: प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।		**********
22.	अन्य आवश्यक दस्तावेज	पृष्ठ क्रमांक से	
		तक	
	·	कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या -:	

अवेदक के हस्ताक्षर
* उक्त प्रारूप में संलग्न प्रमाण-पत्र विज्ञापन के परिशिष्टि-।।। में यथा निर्घारित तिथियों या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है । इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

भाग :- "F"

परिशिष्ट-3

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

- 1- ऑनलाइन आवेदम करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-
 - 1- उपरोक्त पदों हेत् आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
 - 1. mppsc.mp.gov.ln 2. www.mppsc.mp.gov.ln
 - 3- अञ्चर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अञ्चर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
 - 4- अश्यर्थी फार्म अरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म अरते समय संनग्न करना होगा। अश्यर्थी यह अवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर रूपष्ट है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

- 1. स्केनिंग हेत् पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
- 2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखे।
- यदि आप चश्में का प्रयोग करते है तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा
 आपकी आंखे स्पष्टतः दिख रही हों।
- 4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
- 5. यह स्निश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
- 6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
- 5- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
- 6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अश्चर्यी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अश्चर्यी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
- 7- आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात <u>उसका जाम, माता पिता का जाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी</u> जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र कमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpald होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगां जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र ट्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8-

बुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई बुटि होने पर दिनांक 04.03.2025 से 28.03.2025 (दोपहर 12:बने) तक प्रति बुटि सुधार सब ₹ 50/- बुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही बुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अविध में बुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में अरे गए आवेदन को बुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि कपए 250 ब्रटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में अरे गए आवेदन को बुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि कपए 250 ब्रटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में अरे गए आवेदन को बुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रोंमें भरी गयी श्रेणीं। वर्ग (अनारक्षितं। अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति। अन्य पिछड़ा वर्ग। दिव्यांगजनः)। लिंग (महिला/पुरुषः)। शासकीय सेवकः) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणीं। वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अञ्चावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा ।

09-

अश्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। <u>विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अश्यर्थी की अश्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।</u>

2- परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थित में ऑनलाइन पहित से अञ्चर्यी के खाते में वापस किया जाएगा।

3- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अंतिम तिथि अंतिम तिथि अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दुरआष :- हेल्पलाइन - 0755-6720220 तथा 0755-6720221

E-mail:- mppsconline@gmail.com

4- अश्चर्यी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अक्षिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जनम तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पन्न :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अश्च्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं अनुभव प्रमण-पन्न ।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगतन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

शासकीय सेवक होते का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होता चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होता चाहिए।

अतिथि विद्वानों से संबंधित दस्तावेज :- मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों हेत् पात्रता के संबंध में जानकारी।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुस्चित जाति/ अनुस्चित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

<u>घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप</u>
मैं आयोग के मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के ग्रंथपाल के विज्ञापन क्रमांक 44/2024 <u>दिनांक</u> 30.12.2024 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ
1. मैं
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमौलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ। दिनांक :
हस्ताक्षर————————————————————————————————————

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रह की जा सकेगी।

- 6- अनुशासनिक निर्देश :-
 - यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-
 - 01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
 - 02 प्रतिरूपण किया हो; या
 - 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
 - 04 क्टरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
 - 05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हो या जिसने घयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
 - 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अन्चित साधन अपनाया हों; या
 - 07 परीक्षा कक्ष में अन्चित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या
 - 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या
 - 09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संयालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
 - 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

- (क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा और/ या
 - उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालाविध के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
- (ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।
- (ग) इसके अतिरिक्त अध्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन दवारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

- 7- अनर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।
- 8- परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-
 - 01 मुख्य परीक्षा हेतु लघुस्चीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार स्ची का प्रकाशन केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
 - 02 मुख्य परीक्षा हेतु लघुस्चीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची का प्रकाशन के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक स्वनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः लघुस्चीकृत अभ्यर्थी साक्षात्कार से संबन्धित समस्त स्वनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमे प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, उक्त सूचना में उन्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
 - 03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अश्चर्यी की अश्चर्यीया स्वयंभेव समाप्त हों जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अश्चर्यी को पृथक से कोई

सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा!

9- यात्रा व्यय का भ्रगतान :-

- (अ) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अश्न्यर्थी जो कही सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
- (ब) उक्त श्रेणी के अध्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंदित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
- (स) उक्त श्रेणी के अश्न्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे अरकर अश्न्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा:-
 - अनुस्चित जाति/ अनुस्चित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पव की स्वप्रमाणित प्रति।
 - यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।
- (द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धित से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुस्चित जाति, अनुस्चित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रयम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।
- (फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अश्न्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

भाग :- "G"

परिशिष्ट-4

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अन्देश

- टीप ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आफ्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया आएगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अल्यन्स सावधानी पूर्वक करें।
 - आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाए।
 - 2 गोले अरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
 - 3 ओ.एम.आर.शोट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
 - 4 ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
 - 5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर में कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई है। अध्ययीं द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।
 - आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशाल जैसे (√) या (४) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
 - 3ो.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए सामान्य निर्देश -
 - (अ) प्रश्नों के उत्सर: ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अमुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने है। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर घुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
 - OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने। मिटाने। व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
 - (ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर अरें एवं सेट के गीले को काले पेन से काला करें।
 - (स) हस्ताक्षर ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।
 - (द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्रवाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अम्पर्यी उसे आवंदित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत अरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा । आवश्यक प्रविष्टियाँ सही स्थान पर उचित रूप से न अरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।
 - 8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)
 - रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पाचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरता है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकीर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत अरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

रोस मं	_		चिः	11
6 B	40	0	200	
00	Ŏ	Ō	ŏ	
ହୃତ୍	_	_	ě	_
33		_	ð	_
⊕ ⊕		(4)		
(3)			_	_
1	©		_	6
ଡ଼ଡ଼	_	_	_	0
	® 9			®
90	W	4	<u> </u>	W

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का आगी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

- 02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंश होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया आएगा। परीक्षा प्रारंश होने के पश्चात आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
- 04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ । इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

- 01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अविध में परीक्षा कक्षा से बाहर जाने की अनुमित नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमित लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
- 02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
- 03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्षाविक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत दीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा अवल छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अञ्चर्यी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा ।
- 04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल इण्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हायों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - ओ.एस.आर.शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी आग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एस.आर.शीट पर पेंसिल, रवर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अञ्चर्यों के पास कक्ष में पांए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण जर्द किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोने को काने पेन से अनिवार्यत: काना करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोने को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट- B को काना किया है। सेट का गोला काना नहीं करने पर मुल्यांकन नहीं किया जाएगा।

धित्र- चार

A	0
В	•
С	0
D	0

उत्तर अंकित करने हेत् अनुदेश -

- केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रायोग करें।
- 2 प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
- 3 प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेत् केवल एक ही गोने को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-

 INCORRECT
 INCORRECT
 INCORRECT
 INCORRECT
 CORRECT

 गलत
 गलत
 गलत
 गलत
 सही

 ४%©
 ४%©
 ४%©
 ४%©
 ४%©

- 4 पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
- उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने / चिहल (a) होने पर श्री उत्तर मान्य नहीं होगा।
- 8 उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
- 7 प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जाँचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अञ्चर्यी स्वयं जिल्लेदार होगा।
- 8 अञ्चर्यी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं अरता है, तो मुल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- 9 अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मुल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- 10 अञ्चर्यी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के विक्षक को ही जमा करें।
- 11 अञ्चर्यी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गीले भरने / मिटाने के लिए यदि पेंसिल / ट्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रांनिक उपकरण, पेजर, केल्कुलेटर आदि तथा पेंसिल, रवर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांखित सामग्री, कोई पुस्तक या कांगज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अञ्चर्यी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वया वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएँ आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सिम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भव भगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर वताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अविध के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा। परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व / दौरान / पश्चात प्रकानपत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने काले अञ्यर्थियों / ट्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुन्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टत चार्ज प्रथक से देय) आपित्त शुन्क एवं पोर्टत चार्च किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पखित से आपित्त दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धित से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धित से प्रस्तुत आवेदमों को नस्तीवद्ध किया जाएगा। आपित्त दर्ज कराने पर देय शुन्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपित्तयाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। अले ली उनके द्वारा आपित्त दर्ज नहीं की गई हो।

- छः ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -
 - परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
- सात ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ
 - ओ.एम.आर.शोट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड़ के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियों की जाएं।
 - 2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दामा चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।
- आठ प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

- **नौ उपस्थिति** पत्रक
 - प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।
- दस- अभ्यर्थियों हेत् सहलेखक संबंधी नियम
 - अ. अञ्चर्षियों का विवरण जिन्हें स्विधा प्रदान की जाएगी :-
 - उसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
 - 4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी दवारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
 - उपरोक्त श्रेणी के अञ्चर्षियों को छोड़कर अन्य अञ्चर्षियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
 - ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अध्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अध्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अध्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु

अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

- (i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्ते :- . लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अञ्चर्यी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अञ्चर्यी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं
- (ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्ते :-

होना चाहिए)

ऐसे अञ्चर्यियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए

60 **मिनट**

2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए

40 मिनट

- स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-यथा संग्रव ऐसे अरूयर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।
- ्द. अञ्चर्यी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। टीपः- उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

ग्यारहः विविध

- परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
- परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोल, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाला वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्सुए अध्ययीं के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

बारह- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें। तेरह - अनुशासन व शालीनता

- परीक्षा कक्ष में धूमपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
- 2 परीक्षा परिसर में एवं अवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष दवारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
- ³ परीक्षा अवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
- 4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पानन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा।उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सुचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

परिशिष्ट-5

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्रता के संबंध में प्रावधान

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक: 24/12/2024

क्रमांक: एफ 1/1/0201/2023/38-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद के आदेश आयटम क्रमांक 42 दिनांक 26.09.2023 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अतिथि विद्वानों को देय आयु सीमा में छूट तथा बोनस अंक संबंधित पूर्व में जारी सभी आदेश/संशोधन इस आदेश द्वारा अधिक्रमित करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत सहायक प्राध्यापक/ क्रीड़ाधिकारी /ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि विद्वानों के लिए विज्ञापित पदों में आरक्षण एवं अध्यापन/कार्य अनुभव के आधार पर आयु-सीमा में छूट का निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:-

- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर को भर्ती हेतु प्रेषित मांगपत्र में विज्ञापित होने वाले रिक्त पदों में 25 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज क्रम में समान रूप से सभी श्रेणियों यथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ई.डब्ल्यू एस. में किया जाता है। इन आरक्षित पदों पर उन्ही अतिथि विद्वानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जिनके द्वारा न्यूनतम 01 पूर्ण अकादिमक सत्र में शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है अथवा अतिथि विद्वान नीति वर्ष 2019 के अनुसार 04 अंक अर्जित किये हैं। पदों का आरक्षण आगामी 03 भर्ती विज्ञापनों तक सीमित रखा जाएगा। किसी श्रेणी में सहायक प्राध्यापक/ क्रीड़ाधिकारी /ग्रंथपाल के विज्ञापित रिक्त पदों में अतिथि विद्वान आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उसी श्रेणी के गैर अतिथि विद्वान अभ्यर्थी से पद पूर्ति की जाएगी।
- ॥ अतिथि विद्वानों को भर्ती परीक्षा में निर्धारित आयु सीमा में अध्यापन अनुभव (अतिथि विद्वान नीति वर्ष 2019 के अनुसार) प्रतिवर्ष (एक अकादिमक सत्र के अनुभव के लिए एक वर्ष) के आधार पर अधिकतम 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाती है। आयु सीमा में यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। आयु सीमा में छूट आगामी 03 भर्ती विज्ञापनों तक सीमित रहेगी।
- III. उक्त प्रावधान आगामी जारी होने वाले भर्ती विज्ञापनों पर ही लागू होंगे !

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> (वीरन सिंह भलावी) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

<u>परिशिष्ट-6</u>

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पर्दो हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र एवं गणना पत्र

कार्यालयः, प्राचार्यः,	(शासकीय	
पासमाय महाविद्यालय का प	ता, दुरभाष एवं ई. मेल:	
************************	***************************************	***************************************
	अनिभव प्रमाण '−पत्र	
(केवल लोक सेवा आयोग द	ारा जारी सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड्रा	थेकारी के पटों कर मीशी क ार्स के
	संदर्भ में मान्य)	१८ वर्षाच्या १८ स्थान्। व्यक्ता यह
(अतिरि	र विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित	ा करने हेत ु)
क्रमांक:	· 1000.	-
दिनांकः	स्याणः्	**************************************
नें इस महाविद्यालय के	ा है कि औं/श्रीमती/सुश्री	it it was to be to
क्रमांक शैक्षणिक सब	कुल कालखंडो/कार्यदिवसौं की संख्या	रिमार्क
		1/414)
,		
		·
A III. 173 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
प्रकार कर्म अधुम्य प्रमाण पत्र स	हाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखीं के	आधार पर जारी किया गया है।
न मा अनुवास प्रकाश पत्र शासन	हारा आताथ विद्वान आमंत्रण लोनि के भन	र्वाच संस्थित 🗪 💉 🧸
वस मा प्रकल आसवेता त	दान कर रीक्षाणिक कार्य संपन्न किया हो	T-10 117
महाविद्यालयों में जनभागीदारी	ति के माध्यम से स्वयित्तीय पाठ्यक्रव	के के कार्य हैं साम रासकाय
अतिथि विद्वान, उक्त हेतु पात्र न	हीं होंगे।	मा म अध्यापम हतु आमत्रित
स्थान		
		•
Ä		(इस्ताक्षर)
4	प्राचार्य	का नाम
SINK FINE		गर्य की प्रद्य मुद्रा
म.प्र. शहरान सच्च शिक्षा तिचान	All	ल । या अ ल् सी श्र⊦
Read Low.		

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक

(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में संबंधित विषय में स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध अध्यापन/कार्य अनुभव के अधिभार की गणना पत्रक)

अभ्यर्थी का पूरा नाम: पिता / पति का नाम:	
अभ्यर्थी को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत प्राध्यापक/प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ाधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध आमंत्रित अतिथि विद्वानों को, अनुभ विद्वान नीति वर्ष 2019 के अनुसार) प्रतिवर्ष (अकादमिक सत्र) के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष के विज्ञापित होने वाले रिक्त पदों में 25 प्रतिशत अरक्षण क्षैतिज क्रम में सामान रूप से सभी श्रेणियों यथा अस्य पिकटा वर्ष अस्यकीत जाति अस्यापित स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्	व (अतिथि गे छूट एवं अनारक्षित
अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं ई. डब्ल्यू, एस. में किया गया है। अतिथि वि नेम्न तांलिका अनुसार शासन की अतिथि विद्वान नीति के अंतर्गत अध्यापन/कार्य अनुभव के आधार पर व की छूट प्रदान की जावेंगी:	वेद्वानां को आयु सीमा
रक शैक्षणिक सत्र में, 151 से अधिक कालखण्डों पर / 150 से अधिक कार्यदिवसों पर:	04 अंक
रक शैक्षणिक सत्र में, 101 से 150 के मध्य कालखण्डों पर / 120 से 149 के मध्य कार्यदिवसीं पर:	03 अंक
क शैक्षणिक सत्र में, 51 से 100 के मध्य कालखण्डों पर / 90 से 119 के मध्य कार्यदिवसों पर:	०२ अंक
क शैक्षणिक सत्र में, 25 से 50 के मध्य कालखण्डों पर / 1 से 89 के मध्य कार्यदिवसों पर:	01 अंक

शैक्षणिक	क्रमांक	महाविद्यालय/यों	महाविद्यालय	T Transper	1		1
सत्र	N/TIM/			_	सत्रवार	सत्रवार	संलग्न
	Ì	का/के नाम	वार ्.	कालखण्डीं	अनुभव के	अनुभव के	प्रमाणपत्र
अधिकतम			कालखण्डों	1/	अंक (आय्	आधार पर	का क्रमांक
दस		1	11	कार्यदिवसों	सीमा में	आयु सीमा	
			कार्यदिवसों	की कुल	छूट के	में छूट	',,
	1		की संख्या	संख्या ँ	निर्धारण		}
				-	हेतु)		
444-478-1944-1418			414-1-14121-1-251414	<u> </u>			74) 11 (4) (4)
प्रथम सन्न	*******	***************************************		* **********************************		*************	****************
	164*****	*****************	************				
		34,88419-71945	P#44	······································			*************
द्वितीय सत्र		*****************	************	4440717174.4	******)******	******************
<u> </u>	*******	***************					41848444
	·	4044464	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				hadrannypy ngyerata
तृतीय सत्र	*******		1**** pri********************************	paladeläjäjäjäjäjä	***************		************
ļ <u>.</u>	*******	\$0.04m49\$P4>dr4+&tw19+4189	4471717				/*14**14EE****
		bři bil bil vozava v vápí bo roza	***************************************	" " "			***************************************
चतुर्थ सत्र	.,,,	***************************************	***********	410	P		***************************************
<u>- </u>	14110101	#4145q~qrq4qqq14441#)\rip;					**************
······································	*******		Terne) midiocarqipa				441914111111111111111111111111111111111
पंचम सत्र		***************************************	*************	**************************************	-4	#1007801manbaggpp	111724270000

STATE STATES

٦

Page 1 of 2

							
	*******	(*1017*********				
P***************	46417791	17725799801874404414441414	-4				**************************************
षष्ठम सत्र		»		-41419414		***************************************	*************
		14 147 1147 147 147 147 147 147 147 147	******				***************************************
*****		***********	************		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		***********
सप्तम सत्र	********	**************	*************	************		**************************************	18141891841874444
	P4-4P4P4		***********************				181+144818/141952/
************	******	E470401040400000000000000000000000000000	************				
अष्ठम सत्र	14-4,4,2	4914+144494441111444444444	P104P01410-4001018			(0/+/1)+/6-41-4/9	
	1014100	*************************					17184-1844114144
		***************************************	***************				****
नवम सत्र		PR(DPP)VPBVQ4F4E45dm74.cvm			14-4-4-4-4-4-4-4	344444444444	**************
	******	*******************	87 F4 562 6764 8784 878				*******
>=	Palaran	40141414481869696149689144					
दशम सत्र	B+3 d++4+	***************************************			**********	441/141481616169	4011440111114044177
	~******	******************	101400111101111111111111111111111111111				444 22 17) 447-477
			,	: -			

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान:				
आयु सीमा में कुल छूट:		(जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)		
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर:				

दिनांक:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टीप:- 1. आयु सीमा में छूट का लाभ प्रति वर्ष (अकादमिक सत्र) के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष रहेगी।

- 2. जिले के अग्रणी महाविद्यालय से आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।
- 3. शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के माध्यम से स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वान, उक्त हेतु पात्र नहीं होंगे।



Page 2 of 2

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा

भाग :- "।"

प्रवेश-पत्र की उपलब्धता

- 1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।
- 2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 3.आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु व्यय प्रतिपूर्ति का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।